विधान परिषद के द्वितीय सत्र- 2022 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-2 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
*2(क) क्या औद्योगिक विकास मंत्री बतायेंगे कि प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कार्पोरेशन ऑफ यू0पी0 लिमिटेड (पिकप) में कार्यरत कर्मचारियों को सरकार द्वारा प्रदत्त ए0सी0पी0 का लाभ अनुमन्य है?	प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों के लिए वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-561/दस-62(एम)/2008, दिनांक 04-05-2010 के द्वारा ए0सी0पी0 की व्यवस्था लागू की गई जिसके अन्तर्गत निगम के कर्मचारियों को ए0सी0पी0 का लाभ स्वत: अनुमन्य नहीं था। सार्वजनिक उद्यम विभाग (अनुभाग-1) द्वारा जारी शासनादेश संख्या-1105/44-1-2009-77/2009, दिनांक 16-10-2009, शासनादेश संख्या-428/44-1-2010, दिनांक 10-03-2010 शासनादेश संख्या-860/44-1-2010 दिनांक 12.05.2010, शासनादेश संख्या-1760/44-1-2010 -164/2010 दिनांक 30-11-2010 के द्वारा निगमों में ए0सी0पी0 की व्यवस्था लागू किए जाने की अनुमन्यता की गयी है।
(ख) यदि हॉ, तो क्या ए0सी0पी0 प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी भुगतान हेतु प्राप्त ए0सी0पी0 को सम्मिलित करके अन्तिम वेतनमान के आधार पर ग्रेच्युटी दी जाती है?	ए0सी0पी0 प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी भुगतान हेतु प्राप्त ए0सी0पी0 को सम्मिलित करके अन्तिम वेतनमान के आधार पर ग्रेच्युटी दी जाती थी, परन्तु पत्र संख्या-603/77-6-17-पी(12)/10 दिनांक 29-08-2019 द्वारा निगम में ए0सी0पी0 का लाभ अनियमित तथा अदेय सूचित किए जाने के उपरान्त अब तक निगम के 30 कार्मिकों के सेवानिवृत्ति लाभों में से ए0सी0पी0 के मद में भुगतान की गयी धनराशि को रोका गया है।
(ग) यदि हॉ, तो क्या दिनांक 30 जून, 2021 एवं 2022 को सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारियों को पूर्णरूप से ग्रेच्यूटी का भुगतान करा दिया गया है?	जी नहीं।

(घ) यदि हॉ, तो कब?

प्रश्न नहीं उठता।

(ड.) यदि नहीं, तो क्यों?

1. सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी शासनादेश-1105/44-1-2009-77/2009 दिनांक 16.10.2009 के क्रम में मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त पिकप में छठे वेतनमान की संस्तुतियां दिनांक 09.03.2010 से लागू की गई।
2. पिकप द्वारा सार्वजनिक उद्यम विभाग के शासनादेश संख्या-1760/44-1-2010-164/ 2010 दिनांक 30.11.2010 एवं शासनादेश संख्या-437/44-1-2009-35-उवेरि/2दिनांक 24.06.2011 के क्रम में पिकप निदेशक मण्डल से पारित प्रस्ताव के क्रम में ए0सी0पी0 व्यवस्था लागू की गयी थी। यद्यपि सार्वजनिक उद्यम विभाग के शासनादेशों में वर्णित व्यवस्था के अनुसार पिकप को ए0सी0पी0 व्यवस्था लागू कराए जाने हेतु प्रशासनिक विभाग के माध्यम से कार्यवाही करायी जानी चाहिए थी, परन्तु पिकप द्वारा सार्वजनिक उद्यम विभाग के शासनादेश दिनांक 30.11.2010 एवं दिनांक 24.06.2011 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए प्रशासनिक विभाग से औपचारिक अनुमति न मांगे जाने की प्रक्रियात्मक कमी रह गयी।
3. पिकप में ए0सी0पी0 व्यवस्था लागू किए जाने में प्रशासनिक विभाग से औपचारिक अनुमति न मांगे जाने की प्रक्रियात्मक कमी को परिमार्जित करते हुए ए0सी0पी0 लागू किए जाने हेतु पुनर्विचार किए जाने के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'

मंत्री

औद्योगिक विकास विकास विभाग।